राजस्थान सरकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, एनएचएम
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं
स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

NO.F.20(254)/NHM/HRD/PIP 2024-26/PHL-DEO/2024-25/555 Date: 07/3/25

## प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति

भारत सरकार से स्वीकृत पीआईपी वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में FMR code HSS.9/HRH/S.N.185/Remuneration for all NHM HR के अंतर्गत प्राप्त बजट स्वीकृति अनुसार जिलों में स्थापित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में कार्यरत **Computer Operators (Public Health Lab.)** के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में रु॰ 11.05 लाख (In words:Rupees Eleven Lakh and Five Thousand) तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में रु॰ 11.60 लाख (In words:Rupees Eleven Lakh Sixty Thousand) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला स्वास्थ्य समितियों को एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

वर्णित स्वीकृति में कार्मिकों (संविदा/संवेदक) के भुगतान हेतु आवंटित राशि की अधिकतम सीमा अंकित है। जिलेवार आवंटन निम्नानुसार है:–

| S.No. | Name of District Health Society | Total No.of Sanctioned Staff / Units | Total Sanctioned Amount For FY 2024-25 @Rs. 13150/- PM (in Rs) | Total Sanctioned Amount For FY 2025-26 @Rs. 13808/- PM (in Rs) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajmer | 1 | 157800 | 165696 |
| 2 | Alwar | 1 | 157800 | 165696 |
| 3 | Jaipur-I | 2 | 315600 | 331392 |
| 4 | Jodhpur | 1 | 157800 | 165696 |
| 5 | Kota | 1 | 157800 | 165696 |
| 6 | Udaipur | 1 | 157800 | 165696 |
| **TOTAL** | | **7** | **1104600** | **1159872** |
| **TOTAL AMOUNT (Rs in Lakhs)** | | | **11.05** | **11.60** |

सम्बंधित जिला स्वास्थ्य समिती अनुमोदित बजट सीमा में व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त व्यय NHM Flexible pool में उपलब्ध वित्तीय सीमा एवं एफएमआर में सम्बंधित बजट मद में बुक किया जान सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार संबंधित सर्विसेज हायर करने हेतु स्वीकृत की गयी मासिक मानदेय दर से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया जावे।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य/आरसीएव) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक (वित्त) एनएचएम जयपुर।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
8. राज्य नोडल अधिकारी–एचआर, एनएचएम जयपुर ।

9. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, सबंधित जोन।
10. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला।
12. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, संबंधित जिला।
13. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते ई–मेल।
14. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम